न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 28 / 2018

विजय कुमार पुत्र झम्मन जाति ब्राहमण निवासी बोरई तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

अपीलान्टान

बनाम

पटवारी हल्का तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

रैस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 27.02.2018 तहसीलदार कुम्हेर। पत्रावली संख्या 55 / 17 अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :- 1. श्री पंकज कुमार, अभिभाषक अपीलान्टान
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 30.12.2020

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 27.02.2018 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी आराजी खसरा नम्बर 415 रकबा 1.55 है0 से बेदखल कर पैनल्टी एवं सिविल कारावास की सजा की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दाहेराते हुये जाहिर किया कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पचासों वर्ष पुराना कब्जा है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 19.05.1990 व 29.12.2001 तथा 16.01.2014 के द्वारा विवादित आराजी पर अपीलान्ट के नियमन की सिफारिस की है। स्वयं न्यायालय श्रीमान् ने अपने आदेश दिनांक 12.06.2014 व 06.07.2017 के द्वारा अपीलान्ट को आराजी नियमन की सिफारिस की है। अपीलान्ट को आराजी नियमन से सम्बन्धित पत्रावली करीब 20 वर्षो से आवंटन सलाहकार समिति के पास विचाराधीन है लेकिन आवंटन सलाहकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये आज्ञा पारित की है जो काबिल निरस्तनीय है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट व उसके परिवार जनो की जीविका का एक मात्र सहारा उक्त भूमि है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार कम्हेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2018 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 415/1.55 है0 ग्राम बोरई किस्म चारागाह में से 1.32 है0 पर फसल बोकर अतिक्रमण किये जाने पर अपीलान्ट को बेदखल, पैनल्टी एवं सिविल कारावास के दण्ड

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

से दण्डित किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। अपीलान्ट/अतिक्रमी अपनी अपील के कथनों में 50 वर्षो से कब्जा/अतिक्रमण करते आना स्वीकार किया है। अपीलान्ट का मुख्य बिन्दु है कि पुराना कब्जा होने से विवादित आराजी का आवंटन कराया जावे। चूंकि विवादित आराजी की किस्म चारागाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलान्ट विवादित आराजी पर आदतन अतिक्रमी है। तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अतः अपील काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार आपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दि. 30.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर (राज.)